BA Part - II

History Notes

By - Dr. Durga Bhawani

BA Part II History (Hons) IV Paper.

Q. वर्साय की सँन्धि का परीक्षण करें।

Ans:- प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ की जाने वाली सँन्धि की रूप-रेखा तैयार की गई जो वर्साय की सँन्धि के नाम से प्रचलित है। यह सँन्धि 28 जून 1919 ई० को हुई थी। इस सँन्धि-पत्र में 1000 धाराएँ तथा 8000 हजार शब्द थे। 06 मई को सँन्धि परिषद में इसे पास कर दिया और उसके अगले दिन विचार-विमर्श के लिए इसे जर्मन सरकार के पास भेज दिया गया। जर्मन सरकार ने सँन्धि के मसौदे पर विचार करने के बाद एक विशाल आवेदन पत्र, जिसमें अनेक परिवर्त्तनों के लिए मित्र राष्ट्रों की प्रधान समिति के पास भेजा। अतः विल्सन, क्लीमांशो और लॉयड जार्ज ने अपने सँन्धि-पत्र की रूप रेखा में कुछ साधारण से परिवर्त्तन करके उसे पुनः जर्मन सरकार के पास लौटा दिया और उसे सूचित किया कि 23 जून तक इस संशोधित सँन्धि पत्र को स्वीकार कर लिया जाए।

दूसरे शब्दों में वर्साय की सँन्धि-सँन्धि नहीं बल्कि जर्मनी के लिए आदेश पत्र थी। इस की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं—

① प्रादेशिक व्यवस्था — इस सँन्धि के अनुसार जर्मनी से उसके सम्पूर्ण प्रदेश का छठा भाग लेकर मित्र राष्ट्रों में बाँट गया। अफ्रीका के जर्मन उपनिवेशों का चौथा अंश बेल्जियम को, तृतीय भाग फ्रांस को और शेष भाग इंगलैंड को दे दिया गया। इन उपनिवेशों

के विषय में घोषित किया गया कि व्यवस्था शांति और सुप्रबन्ध के लिए इन्हें इंगलैंड, फ्रांस तथा बेल्जियम को दिया गया है। चीन स्थित जर्मन साम्राज्य का भाग तथा प्रशांत महासागर के सभी जर्मन द्वीप जापान को सौंप दिए गए। इस प्रकार जर्मनी से 25 हजार की.मी. क्षेत्र फल और 60 लाख की जन-संख्या वाले क्षेत्र छीन लिए गए।

(2) युद्ध की क्षतिपूर्ति — जर्मनी पर क्षतिपूर्ति स्वरूप दस हजार करोड़ का दण्ड लादा गया और निश्चय किया गया कि 1921 ई० तक जर्मनी 1500 करोड़ रूपय मित्र राष्ट्रों को अदा कर दे। उसके बाद, शेष भुगतान होने तक डेढ़ सौ करोड़ रूपये भुगतान करता रहे। इसके अलावा यह भी निश्चय किया गया कि जर्मनी 10 वर्षों तक 60 लाख टन कोयला प्रतिवर्ष इटली, बेल्जियम और फ्रांस में से प्रत्येक को देता रहेगा।

जर्मनी के ~~युद्ध~~ पोतों, सुरंगों और ~~पनडुब्बियों~~ पनडुब्बियों पर तो, युद्ध विराम संधि के समय ही मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया गया था। अब इस संधि द्वारा उन्होंने उनके 20 लाख टन से अधिक के व्यापारिक जहाजों को भी अपने अधिकार में करके उसकी नौ शक्ति का अंत कर डाला।

(3) कानूनी व्यवस्थाएँ — इस संधि की धारा 231 में जर्मनी को युद्ध आरंभ करने का अपराधी

माना गया। जर्मन सम्राट विलियम II पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को तथा संधियों की पवित्रता को भंग करने का गंभीर आरोप लगाया गया। युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने वाले जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों के सैनिक न्यायालयों में अभियोग चलाने और दंड देने की व्यवस्था की गई।

(4) गारंटियों की व्यवस्थाएं— संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए इसके 14 वें अध्याय में गारंटियों की व्यवस्था की गई। संधि लागू होने के बाद राइन नदी के पश्चिम के जर्मन प्रदेश में और इसके पुलों पर 15 वर्ष तक मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का अधिकार इस संधि को पालन कराने की दृष्टि से रखा गया। यदि जर्मनी संधि की शर्तों को ईमानदारी से पालन करता रहा तो पाँच वर्ष के बाद कोलोन के क्षेत्र और पुल से मित्रराष्ट्रीय सेना हटा ली जाएगी। 10 वर्ष के बाद कॉब्लेंज के क्षेत्र और पुल से तथा 15 वर्ष के बाद मैंज के क्षेत्र से। यदि जर्मनी संधि की शर्तों का पालन ना करे तो यह सेना 15 वर्षों के बाद भी जर्मनी में बनी रह सकती है।

(5) अन्य व्यवस्थाएं— वर्साय की संधि में बेल्जियम की तटस्थता की समाप्ति कर उसे इच्छानुसार अपनी रक्षा के लिए संधियाँ करने की स्वतंत्रता दी गई। इसी प्रकार लक्समबर्ग की तटस्थता का अंत कर दिया गया। जर्मनी ने आस्ट्रिया की स्वतंत्रता और अखंडता स्वीकार की गई।

वर्साय की संधि के दोष – वर्साय की संधि में विभिन्न प्रकार की त्रुटियाँ रह गई थी। जर्मनी तथा उसके मित्र राष्ट्रों के लिए संधि ने जो शर्ते लगाई थी। उनका पालन करना जर्मनी के लिए असंभव था। जर्मनी के कुछ प्रदेशों को जिनमें जर्मनवासियों का बहुमत था, लेकिन फ्रांस आदि राज्यों को दे दिया गया। इन सब बातों को जर्मनी ने विवशता के कारण स्वीकार किया था, परन्तु वह सदैव ही उस अवसर की खोज करता रहा। जब इन्हें समाप्त कर देता इस संधि द्वारा जर्मनी ने अपमान का घूँट पिया था और जिसके बदले के लिए वह लालायित था।

जर्मन राष्ट्रियता की पूर्णरूपेन अवहेलना – इस संधि के द्वारा जर्मनी का अंग-भंग किया गया था। जर्मन राज्य के देश से बाहर जितने भी उपनिवेश थे, मित्र राष्ट्रों ने उन्हें आपस में बाँट लिया साथ ही, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया की स्थापना की गई। जिससे जर्मनी को अपने एक बड़े प्रदेश से वंचित होना पड़ा। जर्मनी को अपने राज्य में गलियारा भी देना पड़ा। जिसके फलस्वरूप पूर्वी प्रशा से उसका समाप्त हो गया। ऐसा करते समय जर्मनी की राष्ट्रियता भावनाओं और विचारों का सम्मान करने का विचार नहीं किया गया।

आत्म निर्णय के सिद्धांत की अवहेलना – अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने अपने जिन 14 सूत्रीय सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था, उनमें इस बात की भी व्यवस्था थी

कि यूरोपीय राज्यों की व्यवस्था करते समय उन सब राज्यों की भाषा, संस्कृति, परम्पराओं आदि पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। परन्तु यह तो केवल कहने की बात थी। जब इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देने का समय आया तो महान राष्ट्रों ने केवल इसका पालन करने में अपने आप को असमर्थ पाया। इस का एकमात्र कारण महान राज्यों का निजी स्वार्थ था। आस्ट्रिया हंगरी तथा जर्मनी के विभाजन के समय ही इस सिद्धांत को त्याग दिया गया।

हर्जाने की कठोर शर्तें – युद्ध का समस्त उत्तरदायित्व जर्मनी पर लगाते हुए यह निश्चय किया गया कि जर्मनी मित्र राष्ट्रों को युद्ध-व्यय तथा क्षतिपूर्ति के रूप में 60 करोड़ पौंड दे। यह धन राशि बहुत अधिक थी। जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था युद्ध के कारण पहले ही काफी खराब थी और इतनी बड़ी राशि देने में वह पूर्णतया असमर्थ था।

निःशस्त्रीकरण की समस्या – जर्मन सेनाओं को अति सीमित कर दिया गया। उसके सभी कारखानों को जिनमें युद्ध सामग्री बनती थी उन्हें मित्र राष्ट्रों ने अपने अधिकार में कर लिए। इतना सब कुछ करने पर भी मित्र राष्ट्रों को अपने उद्देश्यों में सफलता नहीं मिली स्पष्ट है कि मित्र राष्ट्रों ने प्रतिशोध की भावना से पूर्ण होकर जर्मनी से उस संधि पर हस्ताक्षर कराए जो

योग्य कहलाने के योग्य नहीं थी। उन्होंने जर्मनी पर इस प्रकार की कठोर शर्ते लादी जिनका पालन करना जर्मनी के लिए असंभव था। उसने जबर्दस्ती अलसास लारेन के प्रदेश लेकर फ्रांस को, तीन छोटे-छोटे जिले बेल्जियम को, मेमल लिथुआनियाँ को, पोजेन पश्चिम प्रशा, अपर साइलेशिया तथा पूर्वी प्रशा का दक्षिण भाग पोलैंड को देकर 60 लाख जर्मनवासियों को परतंत्र बना दिया।

---x---